संख्या-176/2015/1112/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(बी)

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-08 सितम्बर, 2015

विषय-जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, फैजाबाद, इटावा एवं बरेली में जिला कारागार/जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34052/नम-2, दिनांक 14 अगस्त, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-128/2015/362/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-(बी-2), दिनांक 19 जून, 2015 तथा शासनादेश संख्या-159/2015/1018/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-(बी-2), दिनांक 31 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, फैजाबाद, इटावा एवं बरेली की जिला कारागार/जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार अवशेष रू0 2,17,07,400/- (रूपया दो करोड़ सत्रह लाख सात हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जिला कारागार/जनपद न्यायालय का नाम	कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	प्रस्तावित अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार, बुलन्दशहर एवं जनपद न्यायालय	89.30	41.24	48.06
2	जिला कारागार, अलीगढ़ एवं जनपद न्यायालय	82.28	41.242	41.038
3	जिला कारागार, फैजाबाद एवं जनपद न्यायालय	75.20	41.24	33.96
4	जिला कारागार, इटावा एवं जनपद न्यायालय	86.05	41.24	44.81
5	जिला कारागार, बरेली एवं जनपद न्यायालय	79.16	29.954	49.206
	योग-	411.99	194.916	217.074

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 23.01.2013 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.6.2015 एवं शासनादेश दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-176/2015/1112(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फैजाबाद, इटावा एवं बरेली।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।